

कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: निविदादाता हेतु निर्देश ::

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी रायपुर के लिये शास्त्रोक्त आयुर्वेद औषधियां निर्माण में लगने वाली कुल 14 प्रकार की आवश्यक कच्ची औषधियां क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त हेतु टू बीड सिस्टम के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता जो शासकीय अथवा कार्पोरेट संस्था से ब्लैक लिस्टेड है वह निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। दिनांक 08.12.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.) में जमा की जा सकेगी। निविदा उसी दिन उसी स्थान पर दोपहर पश्चात 3:00 बजे अमानत राशि (ई.एम.डी.) बीड (लिफाफा-ए), निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र सही पाये जाने पर दूसरी लिफाफा निविदा प्रपत्र एवं प्राईज बीड (लिफाफा-बी) खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

निविदा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से स्वीकृत निविदा एक वर्ष तक वैध रहेगी, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कम किया जा सकता है।

निविदादाता को निविदा दो पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करनी होगी। प्रथम लिफाफा "ए" अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र लिफाफे के उपर लाल स्याही से अंकित होना चाहिए तथा दूसरे लिफाफे "बी" में कच्ची औषधियों के निविदा प्रपत्र एवं औषधि के प्राईज बीड लाल स्याही से अंकित होना चाहिए।

प्रत्येक कच्ची औषधियों का पृथक-पृथक नमूना (सेम्पल) पैक कर देना होगा।

1. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ई.एम.डी.) जमा करने से छूट दी जाये।
2. आपूर्तिकर्ता को वर्ष 2024-25 जी.एस.टी. क्लियरेन्स प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं परिशिष्ट एक तथा दो लगाना अनिवार्य होगा। परिशिष्ट दो, बाध्य पत्र 100/- सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदा की अनुमानित राशि रु. 20,00,000 (बीस लाख रुपये) है। प्रत्येक निविदादाता को रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) की अमानत राशि (ई.एम.डी.) जो राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपोजिट/बैंकर्स चेक के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के नाम देय होगी। सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को सिक्क्यूरिटी डिपोजिट के रूप में बदल दी जावेगी।
4. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है ईकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसका परीक्षण किया जाकर नियमानुसार सुरक्षा निधि में छूट प्रदान की जावेगी।
5. 1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 4.9 के अंतर्गत जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे जिसमें निविदा में उल्लेखित कच्ची औषधियां विक्रेता होने का स्पष्ट उल्लेख हो। 2. पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो), 3. विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, 4. नगर निगम में दुकान पंजीयन का प्रमाण पत्र, 5. विक्रेता/विक्रेता प्रतिनिधि होने का स्व घोषणा पत्र। 6. चेक लिस्ट।

उपरोक्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।



उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी,
रायपुर (छ.ग.)

:: निविदा की नियम/शर्तें ::

1. निविदा मूल प्रपत्र पर ही भरकर जमा करनी होगी छाया प्रतियां मान्य नहीं होगी ।
2. आपूर्तिकर्ता को कच्ची औषधियों की आपूर्ति के पूर्व 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर करारनामा (अनुबन्ध) नोटरी से रजिस्टर्ड कराया जाकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
3. क्रय आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर औषधियां प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता द्वारा 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ अवधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी ।
4. निविदादाता निविदा में कच्ची औषधियों की दर, जी.एस.टी. सहित भरें तथा दर एवं जी.एस.टी. को पृथक-पृथक अंकित किया जावे, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि मान्य नहीं होगी ।
5. निविदा में भरे गये मूल्य में परिवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।
6. निविदा, गुणवत्ता/न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे एवं आपूर्तिकर्ता को आदेशित औषधियां शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.) में प्रदाय करना होगा। इस हेतु स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई व्यय नहीं दिया जावेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।
7. प्रदायकर्ता फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि उसकी व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह माल प्रदाय करेगा।
8. कच्ची औषधियों की मात्रा कम/अधिक की जा सकेगी अथवा उसे बिल्कुल न लेने के लिए भी उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के पास अधिकार सुरक्षित होगा ।
9. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ रुपये 20,000/- (अक्षरी :- बीस हजार रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपोजिट/बैंकर्स चेक अमानत राशि (ई.एम.डी) मनी के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी रायपुर के पक्ष में देय, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जावेगा। अस्वीकृत निविदादाता को अमानत राशि वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृत होने पर यह धन राशि सुरक्षा निधि (सिक्यूरिटी डिपोजिट) के रूप में बदल दिया जावेगा। यदि नियमानुसार सुरक्षा निधि अनुमानित मूल्य के 03 प्रतिशत होगी, अमानत राशि की राशि से अधिक होती है, तो अधिक राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से जमा किये जाने पर ही प्रदायित औषधियां ग्रहण की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा में आदेशित औषधियां प्रदाय नहीं करने की स्थिति में शासन हित में इस राशि में से नियमानुसार राजसात की कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षा निधि राशि निविदा के वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् वापस की जावेगी।
10. आदेशानुसार औषधि प्रदाय करने पर सुरक्षा निधि बिना ब्याज के आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जावेगी।
11. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र एवं औषधियां की प्राईज बीड होगा।
12. प्रदायकर्ता फर्म की नियमानुसार सुरक्षानिधि (सिक्यूरिटी डिपोजिट) की राशि अमानत राशि की राशि से अधिक होने की स्थिति में उक्त अधिक राशि का अंतर की राशि का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपोजिट, जो उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी रायपुर के पक्ष में देय हो 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा पर आदेशित कच्ची औषधियां प्रदाय नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार विक्रेता फर्म को काली सूची में डाली जावेगा।
13. प्रदायित कच्ची औषधियों के सेम्पल (नमूना) लैब टेस्ट में सही पाये जाने पर ही औषधियां ग्रहण की जावेगी। सही नहीं पाये जाने पर दूसरी औषधि बदल कर देने का उत्तरदायित्व व्यापारी का होगा।

14. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उसकी परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।
15. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 13.1 के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहत एवं राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग ईकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान की जावेगी।
16. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 13.2 स्थानीय लघु उद्योग ईकाईयों को राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में 5% (पांच प्रतिशत) की क्रय अधिमान्यता प्रदान की जावेगी।
17. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग ईकाई को राज्य के बाहर स्थित ईकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जायेगी।
18. राज्य से बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा निविदा में दी गई दरों की तुलना, राज्य में वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जावेगी।
19. शासन नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती किया जावेगा।
20. परिशिष्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मुद्रा व हस्ताक्षर आवश्यक है। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
21. सुरक्षानिधि नगद में प्राप्त नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षानिधि चालान से लेखा शीर्ष "8443 सिविल जमा राशियां 103 - प्रतिभूति जमा" में शासकीय खजाने में/उपखजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय लेन देन होता है जमा करके चालान की मूल पावती कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा या राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपोजिट द्वारा जमा की जा सकती है।
22. निविदा मुहरबंद लिफाफे में बंद कर कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी जी.ई.रोड, आयुर्वेदिक कालेज केम्पस, रायपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर अथवा उपस्थित होकर जमा की जा सकती है।
23. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में कोई विवाद या सवाल मान्य नहीं होगा।
24. निविदा अहस्तांतरणीय होगी।
25. केवल वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों से ही क्रय किया जावेगा।
26. निविदा विलंब से प्राप्त होने पर मान्य नहीं होगी।
27. आपूर्तिकर्ता भुगतान में विलंब होने पर किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा, एवं न ही किसी प्रकार का ब्याज देय होगा।
28. भुगतान वेण्डर पेमेंट से देय होगी।
29. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।


 उपसंचालक,
 शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
 रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल :- govt.ayurvedicpharmacy@gmail.com

दूरभाष एवं फैक्स क्रं. - 0771-2263437

--: निविदा-सूचना ::--

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1248.

दिनांक 06-11-2025

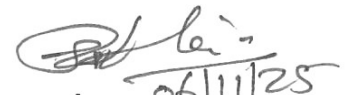
उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.) की ओर से निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेताओं से कच्ची औषधियां एरण्ड मूल, कटेरी बड़ी (वृहन्ती), टंकण (सुहागा), गंधक, तुलसी पत्र, दालचीनी त्वक, देवदारु, नागरमोथा, पिप्पली छोटी, पद्माख, रास्ना पत्र, सौंफ (हरी), काकडाश्रुंगी एवं गुड प्रदाय करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए (आयकार प्रमाण-पत्र सहित) रुपये 500.00 नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त निविदा पत्र कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की वेबसाइट www.gacraipurcg.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि, दिनांक **05.12.2025** समय - सायं 04 बजे तक

निविदा डाक से प्राप्त होने/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक **08.12.2025** समय - दोपहर 02 बजे तक

निविदा की अमानत राशि (ई.एम.डी.) दिनांक **08.12.2025** समय - दोपहर 03 बजे लिफाफे खोलने की तिथि

स्थान - कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, जी.ई.रोड, आयुर्वेदिक कॉलेज कैम्पस, रायपुर (छ.ग.)


06/11/25
उपसंचालक,

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा - बी
परिशिष्ट - एक

प्रति,

विषय :- कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु निविदा ।

महोदय,

मैंने / हमने ठेके (निविदा) की पूर्ति से संबंधित नियमावली के समस्त नियम पढ़ लिये हैं । मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें निविदा की समस्त नियम / शर्तें मान्य हैं व निविदा उन्हीं शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है ।

स्थान -

दिनांक -

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम _____

पूरा पता _____


उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा - बी
परिशिष्ट - दो

(सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

बाध्य पत्र

मैंने / हमने कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु निविदा नियमों / शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों / शर्तों के अनुसार मैं / हम कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु बाध्य हूं / हैं।

मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत यह अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं / हम बाध्य हूंगा/होंगे।

मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु अनुबंध के 15 दिवस के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा / करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं / हम घोषित करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य-पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान -

दिनांक -

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम -

पूरा पता -

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम व पूर्ण पते सहित)

1.

2.


उप संयालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा "बी"

चेक लिस्ट

क्रमांक	विवरण	पेज क्रमांक
1	फर्म का नाम एवं पूर्ण पता	
2	परिशिष्ट एक	
3	परिशिष्ट दो बाध्य पत्र सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत	
4	जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति	
5	जी.एस.टी. क्लियरेन्स वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
6	पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो) की अभिप्रमाणित प्रति	
7	विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति	
8	नगर निगम में दुकान के पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
9	विक्रेता/विक्रेता प्रतिनिधि होने का स्व घोषण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	


उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
सील

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांकमाह.....वर्ष.....को प्रदाय की जाने वाली कच्ची औषधियों के अधिकृत विक्रेता श्री/श्रीमतिफर्म का नाम.....पता.....(इसके पश्चात् इन्हें विक्रेता/प्रदायकर्ता (सप्लायर) कहा जावेगा) तथा छ.ग.शासन की ओर से उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (इसके पश्चात् इन्हें क्रेता/क्रयकर्ता कहा जायेगा) के बीच किया जाता है। इसे निविदा का एक अंश समझा जावेगा।

मैंने / हमने कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु निविदा नियमों/शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों/शर्तों के अनुसार मैं / हम कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु बाध्य हूं / हैं।

मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरान्त अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं / हम बाध्य हूंगा/ होंगे।

मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु अनुबंध के 15 दिवस के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा / करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं / हम घोषित करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य-पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान -

दिनांक -

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम-----

पूरा पता -----

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम व पूर्ण पते सहित)

1.

2.


उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

कच्ची औषधियों के प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र (प्राईज बीड)

फर्म का नाम

फर्म का पता

फोन नं.टीन नं./जी.एस.टी. नं.

नोट:- प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है।

क्र.	औषधि का नाम	आयटम कोड	लेटिन नाम	प्रयोज्यांग	स्पेशिफिकेशन	दर प्रति कि.ग्रा.	जी.एस.टी.	कुल मूल्य
1	एरण्ड मूल	KCH10	Ricinus communis	मूल	Dry, Clean & Lab. tested			
2	बृहती (कटेरी बड़ी)	KCH11	Solanum indicum	संपूर्ण वनस्पति (पंचांग)	Dry, Clean & Lab. tested			
3	काकडाश्रुंगी	KCH14	Pistacia integerrima	श्रुंगाकार कोष	Dry, Clean & Lab. tested			
4	गुड़	KCH71	Jaggery	—	Dry, Clean & Lab. tested			
5	गंधक	KCH168	Sulphur	—	Raw Genuine and pure			
6	टंकण (सुहागा)	KCH110	Borax	—				
7	तुलसी	KCH112	Ocimum sanctum	पत्र	Dry, Clean & Lab. tested			
8	दालचीनी	KCH127	Cinnamomum verum	शाखा त्वक्	Fresh, dry, No.1 & Lab. Tested			
9	देवदारु	KCH128	Cedrus deodara	काष्ठ मज्जा	Dry, Clean & Lab. tested			
10	नागरमोथा	KCH31	Cyperus rotundus	मूलकन्द	Dry, Clean & Lab. tested			
11	पद्माख	KCH34	Prunus cerasoides	शाखा त्वक्	Dry, Clean & Lab. tested			
12	पिप्पली (छोटी)	KCH36	Piper longum	फल	Dry, Clean & Lab. tested			
13	रास्ना	KCH44	Pluchea lanceolata	पत्र	Dry, Clean & Lab. tested			
14	सौंफ हरी	KCH53	Foeniculum vulgare	फल	Dry, Clean & Lab. tested			



उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)